

# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

(अपील संख्या-1632/2013)

भागलाराम मीणा

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये गृह सचिव, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 14.07.2023

उपस्थित :-

अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एम. महर्षि, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :- अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)

लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

## आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी ने यह कथन किया है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति कांस्टेबल के पद पर वर्ष 1979 हुई थी। इसके पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति हैड कांस्टेबल के पद पर वर्ष 1983 में हो गई थी। तत्पश्चात अपीलार्थी की पदोन्नति उप निरीक्षक के पद पर वर्ष 1992 में तथा निरीक्षक के पद पर पदोन्नति वर्ष 2003 में हुई। उनका तर्क है कि आदेश दिनांक 08.01.2008 के द्वारा अपीलार्थी की वार्षिक वेतनवृद्धि बिना भावी प्रभाव के रोके जाने की शस्ती से दण्डित किया गया। अपीलार्थी को निरीक्षक के पद पर वर्ष 2003 में पदोन्नति प्रदान की जा चुकी थी। अपीलार्थी को नियम-17 सीसीए के तहत दिनांक 28.12.2007 को चार्जशीट दी गई, जिसमें अपीलार्थी पर उस समय का आरोप लगाया गया, जब वह उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को उपरोक्त शस्ती के आधार पर पदोन्नति से वंचित रखा गया, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी को Jr. Scale of RPS में वर्तमान पदोन्नति से वंचित रखा गया एवं अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को पदोन्नति दी गई, जो कि उचित नहीं है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि पदोन्नति के समय पदोन्नत किये जाने वाले कर्मचारी का सेवाभिलेख देखकर ही पदोन्नति की जाती है। अपीलार्थी के सेवा रिकार्ड पर पदोन्नति समिति द्वारा समग्र रूप से विचार किया गया लेकिन अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश दिनांक 29-1-2008 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव के दण्ड से दण्डित होने के कारण अपीलार्थी को पुलिस निरीक्षक से आर.पी.एस. कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के लिये पदोन्नति समिति

ने योग्य नहीं पाया । इस कारण अपीलार्थी को पदोन्नति नहीं दी गई। अपीलार्थी को राज्य सरकार द्वारा बनाये गये सी.सी.ए. नियमों के तहत आरोप पत्र दिया जाकर, अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं मौखिक कथन एवं रिकार्ड पर प्रस्तुत दस्तावेजों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अपीलार्थी को आदेश दिनांक 29-1-2008 के द्वारा दो वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया। पदोन्नति के समय पदोन्नत किये जाने वाले कर्मचारी का सेवाभिलेख देखकर ही पदोन्नति की जाती है। अपीलार्थी के सेवारिकॉर्ड पर पदोन्नति समिति द्वारा समग्र रूप से विचार किया गया लेकिन अपीलार्थी के विरुद्ध आदेश दिनांक 29-1-2008 द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धि बिना भावी प्रभाव के दण्ड से दण्डित होने के कारण अपीलार्थी को पुलिस निरीक्षक से आर.पी.एस. कनिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के लिये पदोन्नति समिति ने योग्य नहीं पाया। इस कारण पदोन्नति नहीं दी गई।

3. इस अपील में अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है :-

(i) Declare that the imposition of penalty by S.P., Hanumangarh on the appellant was without unenforceable.

(ii) declare imposed that related jurisdiction since to the a hence, delinquency allegedly committed when he was holding the rank of Sub Inspector could not be imposed after his promotion Inspector by S.P. Hanumangarh; as Inspector by S.P. Hanumangarh.

(iii) declare that the 7 years of APARS of the appellant being not adverse, the appellant could not be denied promotion to RPS Jr. Scale merely on the basis of a single minor punishment

iv) direct respondents to give promotion to the appellant to the post of Jr. Scale of RPS from the date his juniors have promoted to consequential benefits; RPS with all

v) Any other order or relief, this Hon'ble Tribunal may deem fit and proper be also passed in favour of the appellant.

4. दोनों पक्षों के तर्कों पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना की गई है कि अपीलार्थी के विरुद्ध पारित किये गए Minor penalty के आदेश को प्रभावहीन होना घोषित किया जाये। अपीलार्थी के अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के विरुद्ध Minor penalty थी। इसका अलावा अपीलार्थी का सेवा अभिलेख अच्छा रहा है। ऐसे में अपीलार्थी की पदोन्नति पर विचार किया जा सकता था और अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की जा सकती थी। केवलमात्र Minor penalty से दण्डित किये जाने के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग

द्वारा अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं दी गई और अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की गई है।

5. माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रकरण SARVA U.P. GRAMIN BANK v. MANOJ KUMAR CHAK (2013) 6 Spureme Court Cases 287 में निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है:-

43. We also do not find any merit in the submission of Mr Dhruv Mehta that Circular No. 17 of 2009 dated 30-11-2009 and Circular dated 12-7-2010 are to ensure that the individual members of DPC do not recommend for promotion an individual officer despite having been punished in the preceding five years. Such curtailment of the power of DPC would have to be located in the statutory service rules. The 1998 Rules do not contain any such provision. The submission needs merely to be stated, to be rejected. We also do not find any merit in the submission of Mr Mehta that without the aforesaid guidelines, an officer, even though, he has been punished for gross misconduct would have to be permitted to be promoted as no minimum marks are prescribed for interview or performance appraisal. In our opinion, it is fallacious to presume that under the 1998 Ruies, once an officer gets the minimum marks in the written examination, he would be entitled to be promoted on the basis of seniority alone. There is no warrant for such a presumption. The misconduct committed by an eligible employee/officer would be a matter for DPC to take into consideration at the time of performance appraisal. The past conduct of an employee can always be taken into consideration in adjudging the suitability of the officer for performing the duties of the higher post.

44. There another very good reason for not accepting the submissions made by Mr Dhruv Mehta. Different rules/regulations of the banks provide specific punishments such as or promotion, reduction in rank, lowering in ranks/pay scales". However, there is another range of penalty such as censure, reprimand, withholding of increments, etc. which are also prescribed under various staff regulations. To debar such an employee from being considered for promotion would tantamount to also inflicting on such employee, the punishment of withholding of promotion. In such circumstances, a punishment of censure/reprimand would, in fact, read as censure/reprimand plus five years' debarment from promotion. Thus the circulars issued by the Bank debarring such employees from being considered would be clearly contrary to the statutory rules. The circulars clearly do not fa'l within the ratio in Sant Ram case.

45. In our opinion, the observations made by this Court in Ram Ashish Dixit are a complete answer to the submissions made by the learned counsel for the appellants, Mr Dhruv Mehta. Therefore the High Court, in our opinion, has rightly quashed the aforesaid two circulars and directed that the respondent be considered for promotion in accordance with the applicable rules.

6. राजस्थान उच्च न्यायालय ने प्रकरण राजस्थान राज्य बनाम डॉ. अशोक सिंघवी डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 232/2013 निर्णय दिनांक 06.08.2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त न्यायनिर्णय पर अवलंब लेते हुए निम्न प्रकार से मत व्यक्त किया है :-

"A glance at the impugned order passed by the learned Single Judge clearly and unequivocally reveals that the learned Single Judge has simply confined the relief to the respondent vis- a-vis his right of consideration for promotion and question of his suitability for promotion has been left open to be decided by the competent authority. Learned Single Judge has further observed that if the penalty suffered by the incumbent adversely affects minimum merit necessary for efficiency of administration, the DPC can adjudge him unsuitable for promotion. Learned writ Court has further concluded that debarring an incumbent from his right of consideration for promotion on the strength of Circular dated 26th of July 2006 is not sustainable and that being so to consider the candidature of the respondent ignoring the said Circular. On examining the impugned order in the light of Rule 24A of the Rules of 1963 and on the touchstone of the Constitution Bench judgment of the Apex Court in Guman Singh's case (supra), and the latest verdict of the Hon'ble Apex Court in case of Sarva U.P. Gramin Bank's case (supra), we do not feel persuaded to interfere with the impugned order. The legal precedents which are cited by the learned Addl. Advocate General, are having no bearing whatsoever on the issue involved in the matter, and therefore, these judgments are of no help to the appellants. We, therefore, fully concur with the impugned order passed by the learned Single Judge and find no merit in this appeal."

7. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर यह प्रकट होता है कि इस अधिकरण के पास दण्डादेश को निरस्त किये जाने का अधिकार नहीं है। अधिकरण के मत में यह डीपीसी पर निर्भर करता है कि वो अपीलार्थी के विरुद्ध रिकॉर्ड देखकर, जिसमें दण्डोदश भी शामिल है, पर अपना क्या मत बनाती है। अपीलार्थी पर डीपीसी द्वारा विचार किया जा चुका है एवं अपीलार्थी के अभिलेख को देखते हुए डीपीसी वर्ष 2013-14 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु योग्य नहीं माना गया है, जिसमें कोई विधि-विरुद्धता प्रकट नहीं होती है।
8. परिणामस्वरूप इस अपील में कोई बल नहीं होने से यह अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)  
सदस्य

(अनन्त भंडारी)  
सदस्य (न्यायिक)

